UPGB010050232026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट,गौतम बुद्ध नगर
जमानत प्रार्थना संख्या– 1965/2026

राहुल तालान आदि बनाम राज्य

दिनांक– 03.06.2026

आदेश

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्तगण राहुल तालान पुत्र योगेश सिंह उर्फ ऐसन, अजीत उर्फ सोनू पुत्र स्व0 बच्चू सिंह, अमित पुत्र स्व0 बच्चू सिंह द्वारा मुकदमा अ०सं०–277/25, अन्तर्गत धारा–115(2),352,351(3)बी0एन0एस0 व 3(1)द,3(1)ध एस0सी0/एस0टी0एक्ट थाना–जेवर, जिला–गौतमबुद्धनगर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय या उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि निर्दोष है तथा उक्त अपराध में झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है।उपरोक्त धाराओं से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एफआईआर में घटना का स्थान नहीं बताया है। चुटैल प्रशांत के जो चोटें है वह साधारण प्रकृति की है। पीडिता का मेडिकल दिनांक 7.8.25 को कराया है जबकि दिनांक 16.8.25 को करायी है। आरोप–पत्र न्यायालय में आ चुका है। अतः जमानत प्रदान करने की कृपा करें।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली केस डायरी का सम्यक् अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथानक अनुसार घटना दिनांक 7.8.25 की सुबह 9:30 बजे प्रार्थिया का पुत्र प्रशान्त अपने काम पर मोटरसाईकिल से जा रहा था तो रास्ते में अभियुक्तगण ने मिलकर को वादीगण गालियां दी व जातिसूचक शब्दो से अपमानित करने का अभियोग है। अपराध पंजीकृत कर विवेचना की गई तथा विवेचना उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

7. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अंतरिम जमानत पर है। आरोपपत्र न्यायालय में आ चुका है, वह विचारण में सहयोग करने को तैयार है, अतः जमानत प्रदान करने की कृपा करें।

8. अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

9. प्रकरण में आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। वादी को भेजी गयी नोटिस तामील उपरान्त प्राप्त है परन्तु वादी उपस्थित नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय से अंतरिम जमानत पर है, अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा तीस–तीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि का एक–एक प्रतिभू व अंडर टेंकिग न्यायालय में दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि–

1. आवेदक/अभियुक्त, प्रत्येक नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेगें व दौरान साक्ष्य कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगें।

2. आवेदक/अभियुक्त वादी मुकदमा पक्ष पर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनायेगें और न ही गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांक :–03–06–2026

(सोमप्रभा मिश्रा)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।
आई0डी0 नं0–यूपी–6136

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by SOMPRABHA MISHRA
Date: 2026.06.03 17:10:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court